

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 670वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
3. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 10407/2023 Shri ASHISH GOHIYA, Nodal Officer/Dean , Medical Collage, Budhani, Dist. Sehore (MP) C/o Gandhi Medical Collage, Bhopal (MP)--462003, Prior Environment Clearance for Proposed Medical College with Nursing and Paramedical College 500 baded at Khasra No. 60/1/1/2, Village-Basapur, Tehsil-Budhni, District-Sehore (MP).**

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed medical college with nursing and paramedical college 500 baded at Khasra No. 60/1/1/2, Village-Budhani, Tehsil-Budhni, District-Sehore (MP).

The case was presented by Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services , Bhopal. and and PP Shri presented by Shri Ashish Gohiya, Nodal Officer/Dean (on-line), & Shri Ajay Shrivastava , Deputy General Manger , Medical Collage, Budhni, Dist. Sehore (MP) wherein submitted that this is a case of prior Environment Clearance for Construction of Medical college along with Paramedical And Nursing college Project [Total Plot Area = 40 acres (161894.14 Sq mtrs) , Total Built-up Area = 141698 sq mt sqmt) at Survey No 60/1/1/2 Village Basapur Tehsil Budhani, Dist Sehore (MP), hence project requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site.

PP further submitted that it is a Medical college alongwith Paramedical And Nursing college Project with provision of green features like solar power plant, MBBR technology based STP (250+250 KLD) and ETP of 50+50 KLD, MSW management, energy

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

conservation measures, rain water harvesting system etc. PP has applied for permission from BMC for water supply, sewage disposal and MSW disposal.

During presentation following details salient features of the project were provided.

S. No.	Item	Details									
1.	Name of the project	Medical college alongwith Paramedical And Nursing college Project at Survey No 60/1/1/2 Village Basapur Tehsil Budhani, Dist Sehore (MP)									
2.	S. No. in schedule	The project is categorized as 'B-1' under item 8 (a) of Schedule - Gazette Notification dated Sep 14th, 2006 and subsequent amendments issued by MoEF, New Delhi on 01.12.09 and 04.04.2011.									
3.	Proposed capacity / area / length / tonnage to be handled / command area / lease area / number of wells to be drilled	The land use of the proposed project is as under:- [Total Plot Area = 40 acres (161894.14 Sq mtrs) , Total Built-up Area = 141698 sq mt sqmt) Floors									
4.	New / Expansion / Modernization	New									
5.	Existing Capacity/Area etc.	It is green field project									
6.	Category of Project i.e. 'A' or 'B'	'B'									
7.	Does it attract the General condition?	No									
8.	Does it attract the Specific condition? If Yes, please specify.	No									
9.	Plot/Survey/Khasra No.	60/1/1/2									
	Village	Basapur									
	Tehsil	Budhani (MP)									
	District	Sehore (MP)									
	State	Madhya Pradesh									
10.	Nearest railway station/airport along with distance in kms.	Budni Railway Station - 2.75km- SW Bhopal Airport at a distance of about 66.25 KM.									
11.	Nearest Town, City, District Headquarters along with distance in kms.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nearest</th><th>Name</th><th>Distance</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>City</td><td>Hoshang abad</td><td>4.5 km</td></tr> <tr> <td>District Headquarters</td><td>Hoshang abad</td><td>4.5 km</td></tr> </tbody> </table>	Nearest	Name	Distance	City	Hoshang abad	4.5 km	District Headquarters	Hoshang abad	4.5 km
Nearest	Name	Distance									
City	Hoshang abad	4.5 km									
District Headquarters	Hoshang abad	4.5 km									
12.	Village Panchayats, Zilla Parishad, Municipal Corporation, Local body (complete postal addresses with telephone nos. to be given)	Budhani Janpad Pachayat									

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

13	Name of the applicant	Department of Medical Education Through Director Ashish Gohiya
14	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up? (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.	No
Total Project Area		1,61894.14 Sqm
Net Planning area		1,61894 sqm
Total Built-up Area		1,41,698 sqm
Total Water Requirement		871 KLD
Net Fresh Water Requirement		434 KLD
Total Waste Water Generation		737 KLD
Power Requirement		5962KW
Alternate source of power		Solar unit of 1800 KWH (in 1st stage , it will be 50 KWH)
Backup Power facility		4X1250 KVA, 6X1500 KVA and 2X625 KVA of DG set
MSW generation		680 Kg per Day
Bio medical Waste generation		150 Kg per Day
Height of buildings		30 M
Front MOS		13 m
Rear MOS		13 m
Width of main access		60 m
Parking area		19525 for 781 number
Area under Green belt		17810.00 sqm
Area under Roads		36152.14 sqm

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

Name of the consultant	Creative Enviro Services 42 Doorsnchar Colony E 8 Gulmohar Bhopal (MP)
SR. No. in Nabet/QCI List	29

List of Facilities to be provided		
S. N.	Particular	Details
1.	Hospital (500 Bed)	Medical- Clinical Services OPD , Operation Theater Complex, Medical laboratory services, Radiological services, ICU, Pediatric ward, Neonatal Unit Obstetrics, Chest & TB Skin and STD, Psychiatry, Orthopedics Ophthalmology, ENT Physical medicine & rehabilitation
2.	Medical College (student per year)	100 admissions
3.	Nursing and Paramedical College (student per year)	60 admissions each

During presentation the committee observed that part of nalla is flowing at south east corner of the project site. Committee asked PP that the project will not affect the runoff flow and natural drainage system and retaining wall shall be also made along the nalla with provision of culvert, in addition to this green belt shall also be developed both side of this nalla. PP accepted the suggestion of the Committee, PP also agree to shift the location of STP from south east corner (near to nalla) to the North West corner of the site. PP stated that it is also proposed for development of ECO Park at adjacent land parcel of 9.24 hact (at eastern side of site towards nalla) to increase aesthetic ambience of the area.

The EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Medical college alongwith Paramedical And Nursing college Project [Total Plot Area = 40 acres (161894.14 Sq mtrs) , Total Built-up Area = 141698 sq mt sqmt) at Survey No 60/1/1/2 Village Basapur Tehsil Budhani, Dist Sehore (MP) Category: 8(a) Building & Construction Project, subject to the following special conditions :

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

I. Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- iv. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- v. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- vi. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- vii. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- viii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, and Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- ix. The provisions for the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- x. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 12 Diesel power generating sets (4X1250 KVA, 6X1500 KVA and 2X625 KVA of DG set) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with MP State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before remaining construction works (if any). Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- vi. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- vii. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- viii. The gaseous emission from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- ix. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. BOD shall be maintain of 03 mg/l as per CPHEEO guidelines.
- ii. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

- site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- iii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
 - iv. The total water requirement during operation phase is 871 KLD out of which 434 KLD is fresh water requirement. (Domestic = 434KLD, Flushing = 303 KLD, Horticulture = 140 KLD, Waste water Generation = 737 KLD , Treated water from STP = 443 KLD,
Treated water utilization = 301 KLD (Flushing) + 140 KLD (Horticulture) Total utilization = 443 KLD)
 - v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
 - vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
 - vii. At least 12% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 30% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
 - viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
 - ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
 - x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
 - xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
 - xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

- xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiv. There are 34 RWH pits which are constructed at the Medical campus, with Dimensions of 4m dia, 3m depth.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Waste water and Sewage shall be treated in the ETP & STP (Capacity – 50+50 KLD & 250+250 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, HVAC makes up water and gardening.
- xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP. The BOD of Treated water shall be maintained less than 20 mg/lit
- xxi. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Contribution of solar energy shall be 30 % of total energy consumption.
- ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- v. Energy conservation measures like installation of CFLs/LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

VI. Waste Management

- i. Total municipal solid waste will be 650 Kg/day and shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016 whereas total biomedical waste will be 150 kg per day and shall be disposed off at CBWTF.

The bifurcation of different type of waste is as given below:

No of beds in Hospital	= 500	MSW@ 1 kg/bed/day BMW@ 0.3 Kg/bed/day	= 500 kg = 150 kg
Private rooms	= 0	MSW@ 1 kg/bed/day BMW@ 0.3 Kg/bed/day	(INCLUDING IN TOTAL NO. OF BEDS)

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

Boy Hostel	= 225	MSW@	= 90 kg
Girls hostels	= 225	0.4	= 90 kg
Intern Female Hostel	= 40	kg/bed/day	
Intern Male Hostel	= 40		
Central Mess	= 500		
Resident Doctor (1 BHK)	= 32 flats		
Nurse Hostel (1 BHK)	= 32 flats		
Director Residence	= 3BHK + Servant		
Superintendent Residence	= 3BHK + Servant		
Type E Residence (3BHK + Servant)	24 flats		
Type F Residence (2 BHK)	24 flats		
Type G Residence (2 BHK)	24 flats		
Physiotherapy, Nursing & Paramedical college	300		
(Floating population)	122		
Nursing Boys Hostel	122		
Nursing Female Hostel	08		
Guest House			
Laundry Building			
Medical college	750	MSW@0.1	750*0.1=75
Floating population		kg/bed/day	
Horticulture	10 acres	15Kg/acre	150
	Total Municipal Solid Waste Generation = 650kg/day		
	Total Biomedical waste Generation = 150kg/day		

- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (650 kg per day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

Vii. Green Cover details are as given below:-

- i. Total 2708 including trees shrubs and ornamental plants proposed to be planted within the 17810 sq mtrs campus.
- ii. No tree cutting is proposed existed at the project site.
- iii. Adjacent land parcel of 9.24 hact (at eastern side of site towards nalla) shall be developed ECO park as to increase aesthetic ambience of the area through forest department, Sehore Forest Division.
- iv. Open space shall be maintained upto 33% and green cover more than 25% of the total project area.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stock piled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
- vi. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

- a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
 - iii. Total parking for 781 vehicle shall be provided over 19525 shall be provided by PP.
 - iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP& Corporation Environment Responsibility

- i. PP, has submitted EMP budget for Operational phase Rs. 308.26 lacs as capital cost and Rs. 53.44 lakhs as recurring cost for EMP of this project.
- ii. Under Corporate Environment Responsibility (CER) following activities shall be done by the PP

PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY		
SN	Activities	Budgetary provisions (Rs in lacs)
1	Development of ECO park at adjacent land parcel of 9.24 hect (at eastern side of site towards nalla) by providing fund to Forest Department Sehore (MP)	10.00
	Total	10.00 Lacs

- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 30.9.2020, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EMP report, and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. प्रकरण क्रमांक 9026/2022 - मेसर्स के.पी. अवस्थी, पार्टनर, बिचपुरा मेटल क्वेरी, बिचपुरा बरही, जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1038/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1033/1 रकबा 2.63 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन - 60,209 मी.³ प्रतिवर्ष ग्राम बिचपुरा बरही, तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण में समिति की पूर्व की 556वीं बैठक दिनांक 02/03/2022 को पत्थर-60,209 घनमीटर / वर्ष हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी। प्रकरण समिति की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार समिति के समक्ष अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में आज दिनांक 23/08/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री के.पी. अवस्थी (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-48 के सरल क्रमांक-102 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में पिट है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक पुराना पिट है एवं पिट को सर्वेस मैप में दर्शाया गया है। दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर पर आबादी है। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

रोजगार, वृक्षारोपण, फेंसिंग, पानी की व्यवस्था, सोलर लाईट इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक से निम्न संबंध में जानकारी प्राप्त की जानी है।

- लीज आर्डर अनुसार माननीय न्यायालय जबलपुर में क्रिमिनल सीआर 12/17 में ईओडब्लू 1/16 में आगामी तिथि सुनवाई तक दिनांक 17/03/17 के द्वारा स्थगन दिया गया है तथा आदेश दिनांक 31/7/18 से स्थगन आदेश को यथावत रखा गया है। प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन है, और उक्त सैद्धांतिक सहमति मा. न्यायालय के आदेश की अधीन होगी का उल्लेख है, अतः उपरोक्त पूर्व न्यायालयीन प्रकरण में वर्तमान स्थिति की जानकारी कार्यालय कलेक्टर / शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त की जानी होगी।
- खदान का भू-स्वामित्व कोल जनजाति का है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत नहीं होना पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से लीज अनुबंध के प्रस्ताव की कापी प्रस्तुत करें।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय की गई शर्तों की पुष्टि के लिए प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करें।

3. Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj Singh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)

प्रकरण समिति की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री लीलाधर वर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 07/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। खदान से वन क्षेत्र की दूरी 22.41 मीटर दूरी पर है। इस संदर्भ आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक 05/08/22 को समिति द्वारा वन सीमा से 50 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति प्रदान की गई है।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

सिया के पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 20/12/22 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह उल्लेखित है कि इस प्रकरण की ग्रामसभा की अनुमति नहीं है तथा सीईओ जनपद से जाँच कराने पर उनके द्वारा शिकायत को सही पाया गया, अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर सीईओ जनपद पंचायत से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को समिति की 639वीं बैठक दिनांक 25/04/23 में डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था । तदुपरांत सिया की 795वीं बैठक दिनांक 17/07/23 को रिलिस्ट कर प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया ।

प्रकरण समिति की आज दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जयराज सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए ।

परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण में समिति की पूर्व की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 अनुसार सीईओ जनपद पंचायत से प्रतिवेदन अप्राप्त है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन सरपंच द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत हरहा पत्र क्रमांक 02 दिनांक 28/04/2023 जिसमें लेख किया गया है कि नदी, नाला व शासकीय भवन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्खनन कार्य किया जावेगा, ऐसा नहीं करने पर स्वीकृत पट्टा निरस्त कर सकती है। अतः ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव (दिनांक 27/04/2023 28/04/2023) के अनुसार ग्राम पंचायत को आपत्ति नहीं है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान निजी भूमि में स्थित है। खदान के बीच में परियोजना प्रस्तावक का मकान है खदान के बगल में भी संबंधित भूस्वामी का मकान है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये ।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक नये सरपंच का प्रमाण पत्र लेकर आये है। परन्तु सीईओ जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव सीईओ जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

4. **Case No 8705/2021 M/s. Mahalaxmi Mines Mineral, Ward No. 4, Kymore Tehsil - Katni, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.88 ha. (1,09,414 cum per annum) (Khasra No. 210/1 क, 210/1ख, 210/1 ग, 210/2क, 210/2ख, 210/2ग, 210/3 210/4, 210/5, 210/6, 210/7, 211/1 क, 211/2, 212, 215/2, 215/3, 216), Village - Badagaon, Tehsil - Barhi, Dist. Katni (MP).**

प्रकरण में समिति की पूर्व की 522वीं बैठक दिनांक 27/10/2021 को पत्थर-1,09,414 घनमीटर / वर्ष हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी । प्रकरण समिति की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार समिति के समक्ष अनुपस्थित रहे ।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

प्रकरण में आज दिनांक 23/08/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मनु मल्होत्रा (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खदान के मात्र 4 कॉर्डिनेट्स दिये गये थे। अतः खनन योजना के कॉर्डिनेट्स शामिल किये हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर पश्चिम में 400 मीटर की दूरी पर कर्मिशियल सेड है तथा उत्तर पश्चिम में ही 75 मीटर पर रहवासी मकान है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 30 मीटर पर हालेज रोड है एवं 75 मीटर पर रहवासी मकान नहीं है बल्कि अबन्डेट स्ट्रक्चर है।

इस खदान की जनसुनवाई के दौरान रोजगार, वृक्षारोपण, फेंसिंग, रोड़ बनाई जाये, स्वास्थ्य परीक्षण, एवं पेयजल की व्यवस्था इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-1,09,414 घनमीटर / वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.40 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि		राशि
बड़ागाँव शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप (प्रिंटर के साथ) की व्यवस्था		50,000
ग्राम बड़ागाँव के मुख्य सड़क पर 5 सोलर पैनल लाइट की व्यवस्था पंचायत के माध्यम से की जाएगी		30,000
	Total	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 7000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, जामुन, नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000
4	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
कुल			7000
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			

5. प्रकरण क्रमांक 9012/2022 - श्री मनु मल्होत्रा, वार्ड नं. 1, बरही तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 209/2 रकबा 01.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन-20,001 मी.³, ग्राम करोदीकलां तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

प्रकरण में समिति की पूर्व की 556वीं बैठक दिनांक 02/03/2022 को पत्थर-20,001 घनमीटर / वर्ष हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी । प्रकरण समिति की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार समिति के समक्ष अनुपस्थित रहे ।

प्रकरण में आज दिनांक 23/08/23 को रखा गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मनु मल्होत्रा (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-26 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा की एनओसी प्रस्तुत दर्शायी गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं एवं दक्षिण पूर्व दिशा में 470 मीटर पर आबादी है । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान ब्लास्टिंग से घर की दीवारें चटक जाती हैं, फेंसिंग, रोजगार, वृक्षारोपण, रोड़ बनाई जाये, स्वास्थ्य शिविर, पानी के लिये हैंड पंप एवं मंदिर की रिपेयरिंग कराई जाये इत्यादि सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि इनको ई.एम.पी./सीईआर में समुचित बजट के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-20,001 मी³ प्रति।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 06.85 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.81 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.85 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
शासकीय प्राथमिक शाला करौंदी कलाँ में 10 कुर्सियाँ की व्यवस्था	15,000
गाँव करौंदी कलाँ में हैंडपंप की व्यवस्था रिचार्ज पिट के साथ पंचायत के माध्यम से की जाएगी	50,000
गाँव करौंदी कलाँ में खेर माई मडिया मंदिर की मरम्मत का कार्य	20,000
Total	85,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, आम, जामुन, कटहल, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	700
4	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
कुल			2000
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया			

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

जाना ।

6. Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 1.975 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण परीक्षण हेतु दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिशुपाल सिंह यादव ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा आज दिनांक 13/07/23 को उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 317 दिनांक 14/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 31/07/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, माईनिंग प्लान के अनुसार खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। प्रश्नाधीन आवंटित खदान के मध्य में कुछ मकान/सरंचनाएँ दिख रही हैं एवं पूर्व की ओर अल्प भाग खुदा हुआ दिखाई दे रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई थी एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिए था। अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग के जिओटेग फोटोग्राफ्स, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी के साथ अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें उसके पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

7. Case No 10166/2023 Ms Rajni Tripathi, Lessee, R/o Hardua Colony, Gaytri Nagar, Ward No. 02, Post-Nagod, Tehsil-Nagod, District-Satna (MP)-485446, Prior Environment Clearance for Pipara Flagstone Quarry in an area of 3.38 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 30, 31, 32), Village-Pipra, Tehsil-Unchahara, District-Satna (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/23 को परियोजना प्रस्तावक रजनी त्रिपाठी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	RAJNI TRIPATHI, Lessee, R/o- Hardua Colony Gyatri Nagar Ward No.02, Post- Nagod Tehsil- Nagod, District- Satna, M.P
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	30, 31, 32 (निजी –भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में है) 3.38 hectares
स्थल	Village Pipra, Tehsil Unchehara , District Satna(M.P.).
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 23181–82 दिनांक 12/12/14 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सतना के पत्र क्रमांक 1132 दिनांक 24/05/16 के द्वारा 5,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग पत्थर–5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार फ्लैग पत्थर–5,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1259 दिनांक 07/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

अनापत्ति	1259 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महाराजपुर जिला सतना के ठहराव दिनांक 16/08/13 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर लगभग 90 प्रतिशत भाग पर वृक्ष लगे हुए हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग खुदा हुआ है ओर जिसमें पानी भरा हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस प्रकरण में डिया से ईसी प्राप्त हुई थी ।
	दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी 57 मीटर, 07 मीटर पर पक्की संरचना एवं जल निकाय क्षेत्र 75 मीटर पर है।
	पूर्व दिशा— कच्ची रोड़ 98 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-161 के सरल क्रमांक-83 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई थी एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिए था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग के जिओटेग फोटोग्राफ्स, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी के साथ अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें उसके पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

8. Case No 9996/2023 Shri KULDEEP JAIN, lease owner, Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.00 ha. (9,000 Cum per annum) (Khasra No. 83), Village Kasba Sironj, Tehsil - Sironj, Distt - Vidisha, (M.P.)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व की 659वीं बैठक दिनांक 13/07/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीईआर योजना के संबंध में गांव में स्थित विद्यालय के प्राचार्य की सलाह से आवश्यकतानुसार जानकारी प्रस्तुत की जावेगी । उक्त जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा ।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 28/07/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक कुलदीन जैन (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवायरोटेक इं.प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम-9,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.93 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कस्बा सिरोंज के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 20 टेबल-चेयर का सेट दिया जाएगा।	40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2430 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
2	परिवहन मार्ग	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3	कस्बा सिरोंज के ग्रामबासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आवला, कटहल, आम, अमरुद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1610
4	ग्राम कस्बा सिरोंज के शासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, मौलश्री, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	20
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			2430

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

9. Case No 10201/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Putti Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (89,010 cum per year) (Khasra No. 552), Village-Putti, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, ग्वालियर समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Putti Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (89,010 cum per year) (Khasra No. 552), Village-Putti, Tehsil-Pichhore, District- Gwalior (MP) [429866]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	552, ग्राम – पुट्टी, तहसील – पिछोर, जिला – ग्वालियर (म.प्र.),	4.98 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 89,010 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 89,010 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. 795 दिनांक 04/05/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.98 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

	नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811दिनांक 08/05/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पुट्टी, जिला - ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 16/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 27 के सरल क्रमांक - 07 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-89,010 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 89,010 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबैक छोड़ने के कारण पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें।

10. Case No 10161/2023 Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,040 cum per year) (Khasra No. - 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Dhamna Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,040 cum per year) (Khasra No. - 935), Village-Dhamna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430657]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	935, ग्राम — धमना, तहसील — भाण्डेर, जिला — दतिया, (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है तथा पूर्व दिशा में 47 मीटर पर रपटा है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 14,040 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत— 14,040 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 12 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत प्यावल, जिला — दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

पंचायत की अनुमति	18/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक - 21 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-14,040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,040 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

11. Case No 10154/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sarsai Sand Quarry in an area of 4.47 ha. (40,095 cum per year) (Khasra No. - 3603, 3634, 3635), Village-Sarsai, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, <i>Prior Environment Clearance for Sarsai Sand Quarry in an area of 4.47 ha. (40,095 cum per year) (Khasra No. - 3603, 3634, 3635), Village-Sarsai, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430720]</i> .		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3603, 3634, 3635, ग्राम - सरसई, तहसील - भाण्डेर, जिला - दतिया (म.प्र.),	4.47 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की	बी-2 श्रेणी,		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

श्रेणी(बी-1/बी-2)	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 40,095 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 40,095 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.47 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 33 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सरसई, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 40 दिनांक 20/02/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 02 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-40,095 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40,095 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

12. Case No 10159/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Budera Sand Quarry in an area of 4.94 ha. (56,700 cum per year) (Khasra No. 31), Village-Budera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवार्सो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Budera Sand Quarry in an area of 4.94 ha. (56,700 cum per year) (Khasra No. 31), Village-Budera, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [430762]		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31, ग्राम – बुढ़ेरा, तहसील – सेंवड़ा, जिला – दतिया (म.प्र.),	4.94 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है। खदान में से सेटबेक छोड़ने के कारण 2.10 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.835 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 56,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 56,700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 20 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.94 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 20 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 20 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बेरछा, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 27/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 15 के सरल क्रमांक – 29 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-56,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 56,700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** – 56,700 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.99 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.08 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 4.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
-----------------------------------	----------------

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

सीईआर मद से 2,12,700 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बुडेरा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	2,12,700
एवं 2,13,000 आंगनवाड़ी कि अधोसंरचना विकास हेतु महिला बाल विकास समिति के खाते में जमा की जावेगी	2,13,000
कुल	4.25

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	140
2	ग्राम- बुडेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4410
3	परिवहन मार्ग (800 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गार्ड के साथ)	980
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी । 			
योग			5880

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

13. Case No 10160/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for BuPrior Environment Clearance for Kanjoli-2 Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,700 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kanjoli, Tehsil-Indergarh, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Kanjoli-2 Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (14,700 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kanjoli, Tehsil-Indergarh, District-Datia (MP) [430769].		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01, ग्राम — कंजौली-2, तहसील — इंदरगढ़, जिला — दतिया (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोड़ने के कारण 1.96 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 2.94 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मैप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 14,700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत— 14,700 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 31 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. — 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 31 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 31 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कंजौली, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 04 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-14,700 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** – 14,700 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 11.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,10,500 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सीईआर मद से 1,10,500 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कंजौली-2 के शासकीय प्राथमिक शा ला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,10,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
-----	------------------------------	---------------------	--------

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

	नियत स्थान		(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति — कटंग बांस	150
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां ।	140
2	ग्राम— कंजोली-2 के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4410
3	परिवहन मार्ग (800 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	980
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । 			
योग			5880

14. Case No 10157/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Salon-A Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (57,600 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Salon, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे ।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Salon-A Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (57,600 cum per year) (Khasra No. 01), Village - Salon, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430775]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01, ग्राम – सालोन-ए तहसील – भाण्डेर, जिला – दतिया (म.प्र.),	4.90 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 57,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 57,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सालोन "ए", जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 01/11/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 01 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-57,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 57,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें ।

15. Case No 10155/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Khiriya Jhansi Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Khiria Jhasi, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया , जिला – दतिया समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khiriya Jhansi Sand Quarry in an area of 4.90 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Khiria Jhasi, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430779]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	01, ग्राम – खिरियाझांसी, तहसील – भाण्डेर, जिला	4.90 हेक्टेयर	शासकीय

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

(सरकारी/निजी)	– दतिया (म.प्र.),		
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की एक पतली जल धारा निकल रही है ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 58,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 58,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.90 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 11 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत सालौन "ए", जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 20/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 20 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल-58,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 58,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:—

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

16. Case No 10198/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Basaimalak-2 Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (14,850 cum per year) (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवरो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Basaimalak-2 Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (14,850 cum per year) (Khasra No. 292, 295, 296), Village-Basaimalak, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [430902]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	292, 295, 296] ग्राम – बसईमलक-2, तहसील – सेंवढा, जिला – दतिया, (म.प्र.),	4.98 हेक्टेयर (खदुभरु)	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान खोदू भरु खदान है जो कि सिंध नदी से 880 मीटर की दूरी पर स्थित है, खदान में से सेटबेक छोड़ने के कारण 2.10 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.97 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 14,850 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत– 14,850 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023. (खदुभरू)
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.98 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. - 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 26 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मरसैनीखुर्द, जिला - दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक - 09 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-1,78,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,850 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** - 14,850 मी³ प्रति वर्ष।
2. खदान संचालन के पूर्व परियोजना प्रस्तावक रेत परिवहन के लिए आस-पास के कृषकों (भू-स्वामी) से सहमति प्राप्त करेंगे।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.14 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1,11,375 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सीईआर मद से 1,11,375 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बसईमलक के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,11,375

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5976 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	148
2	ग्राम- बसईमलक के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4482
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	996
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । 			
योग			5976

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

17. Case No 10153/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Bichhondanan Sand Quarry in an area of 1.64 ha. (8,474 cum per year) (Khasra No. 1282), Village-Bichhondna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bichhondanan Sand Quarry in an area of 1.64 ha. (8,474 cum per year) (Khasra No. 1282), Village-Bichhondna, Tehsil-Bhander, District-Datia (MP) [430905]		
परियोजना का खसरा नं. / एरिया	1282, ग्राम — बिछौदना, तहसील — भाण्डेर, जिला — दतिया (म.प्र.),	1.64 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पहुंज नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा है तथा 390 मीटर की दूरी पर एक रोड़ ब्रिज है। खदान में से सेटबैक छोड़ने के कारण 0.7926 हे क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.8474 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 8,474 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत— 8,474 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

विवरण	रकबा 1.64 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 07 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत बिछौदना, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 16 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-8474 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8474घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** – 8474 मी³ प्रति वर्ष।
2. खदान संचालन के पूर्व परियोजना प्रस्तावक रेत परिवहन के लिए आस-पास के कृषकों (भू-स्वामी) से सहमति प्राप्त करेंगे।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.98 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 63,555 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सीईआर मद से 63,555 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बिछौदना के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	63,555

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	100
		4-5 पंक्ति – कटंग बांस	50
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	50
2	ग्राम— बिछोंदाना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1400
3	परिवहन मार्ग (300 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गार्ड के साथ)	400
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । 			
योग			2000

18. Case No 10162/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Marsenikhurd Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (37,800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Marseni Buzurg, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारे सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे ।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Marsenikhurd Sand Quarry in an area of 4.80 ha. (37,800 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Marseni Buzurg, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP) [430907]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01, ग्राम – मरसैनीखुर्द, तहसील – भाण्डेर, जिला – दतिया, (म.प्र.),	4.80 हेक्टेयर	शासकीय
परियोजना की श्रेणी(बी-1/बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सिंध नदी में मियन्डर पर स्थित है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 37,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 37,800 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धान्तिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023-24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.80 हे० होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

	रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत मरसैनीखुर्द, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 14 के सरल क्रमांक – 08 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-37,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 37,800 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्पूर्ण नदी को खनन कार्य हेतु दर्शाया गया है जब कि सेन्ड माईनिंग गाईडलाईन्स के अनुसार नदी का बहाव प्रभावित न हो, इस हेतु नदी तट का एक साईड छोड़ना प्रस्तावित है। अतः प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।
- पुनरीक्षित सीईआर योजना

19. Case No 10156/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Prior Environment Clearance for Kanjoli-1 Sand Quarry in an area of 3.46 ha. (20,400 cum per year) (Khasra No. 138), Village-Kanjoli, Tehsil-Indergarh, District-Datia (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arun Sharma, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री प्रशांत गोरेया, सर्वेयर, प्रभारी दतिया समिति के समक्ष भी उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Kanjoli-1 Sand Quarry in an area of 3.46 ha. (20,400 cum per year) (Khasra No. 138), Village-Kanjoli, Tehsil-Indergarh, District-Datia (MP)

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	01, ग्राम – कंजोली-1 तहसील – इंदरगढ़, जिला – दतिया (म.प्र.),	3.46 हेक्टेयर (खोदूभरू)	शासकीय (खोदूभरू)
परियोजना की श्रेणी(बी-1 / बी-2)	बी-2 श्रेणी,		
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।		
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान खोदू भरू खदान है जो कि सिंध नदी से 527 मीटर की दूरी पर स्थित है, खदान में से सेटबैक छोड़ने के कारण 02.04 हे. क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र एवं 1.42 हे. में खनन कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मैप में है।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 20,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत– 20,400 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैद्धांतिक सहमति / LOI details.	पत्र क्र०. रेत/2023–24/नस्ति क्र०. 315/198 दिनांक 07/06/2023.(खोदूभरू)		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 3.46 हे०. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 16 दिनांक 02/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कनजौली, जिला – दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 14 के सरल		

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

	क्रमांक — 25 पर दर्ज है। जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल—1,22,400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 20,400 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **रेत** — 20,400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.13 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.53 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सीईआर मद से 1,53,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कंजोली के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	1,53,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	200
		4-5 पंक्ति — कटंग बांस	100
		6 पंक्ति — करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	100
2	ग्राम— कंजोली-1 के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3200
3	परिवहन मार्ग (800 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ (ट्री गार्ड के साथ)	600
✓ वृक्षों का रोपण एवं 5 साल तक पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा।			
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।			

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

<ul style="list-style-type: none"> ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथें STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी । 	
योग	4200

20. Case No 10177/2023 Shri Mukesh Verma, Owner, R/o Near Saint Anees School, Chanakyapuri, District-Sehore (MP)-466001, Prior Environment Clearance for Pagrawad Kalan Crusher Stone Quarry Project in an area of 4.00 ha. (25725 TPA) (Khasra No. 2/1, 2/5, 2/8, 2/9), Village-Pagrawad Kalan, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/23 को परियोजना प्रस्तावक मुकेश वर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MUKESH VERMA, Owner, Near Saint anees School chanakyapuri, sehore, MP, 466001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/1, 2/5, 2/8, 2/9 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 Hectares
स्थल	ग्राम PAGRAWAD KALAN तहसील एवं जिला Shujalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 13982-84 दिनांक 11/10/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-25,725 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर – 10,290 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र	

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

में अन्य खदानें	क्रमांक 468 दिनांक 25/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 468 दिनांक 25/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पगरावदकलां जिला शाजापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खदान का कुछ भाग खुदा हुआ है, उत्तर पश्चिम दिशा में रोड़ 97 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-44 के सरल क्रमांक-84 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई थी पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदाय की गई शर्तें अनुसार 500 वृक्ष प्रति हेक्टेयर 02 वर्ष में लगाये जाने थे और अभी तक 300 पेड़ लगाये जा चुके हैं। समिति ने पाया कि खदान का कुल रकबा 04 हेक्टेयर है अतः कुल 2000 वृक्ष परियोजना प्रस्तावक को लगाने थे। अतः डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिये था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग के जिओटेग फोटोग्राफ्स, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी के साथ अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें उसके पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

21. Case No 10178/2023 Ms. Sulochna, Lessee, R/o Village-Barjhar, District-Alirajpur (MP)-457882, Prior Environment Clearance for Diglay Murrum Quarry Project in an area of 2.00 ha. (16000 cum per year) (Khasra No. 6 Peki), Village-Diglay, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 23/08/23 को परियोजना प्रस्तावक सुलोचना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अपेक्स मिंटेक कंसलटेंट, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. SULOCHNA, Lessee, R/o Village Barjhar, Alirajpur District-Alirajpur (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	6 PEKI (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectares
स्थल	ग्राम DIGLAY तसहील Dhar जिला Dhar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 808 दिनांक 06/04/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरुम-16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरुम-16,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1566 दिनांक 28/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1566 दिनांक 28/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1566 दिनांक 28/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों	

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

	जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-25 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान के अंदर 06 पेड़ लगे हुए हैं । Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा— कच्चा/पक्का रोड़ 493 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार ने एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1566 दिनांक 28/06/23 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त खदान के अनुबंध/निष्पादन तथा पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मरुम-16,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.12 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम डिग्लाय के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के अधो विकास के लिए पालक शिक्षक संग समिति में राशि जमा कराई जाएगी	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 725 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	1200
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (780मी) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1000
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना।			
कुल			2400

22. Case No 9968/2023 Shri Ankit Sharma, Owner R/o Ward No. 6, Durga Nagar, Bareth Marg, Ganjbasoda, District-Vidisha (MP)-464221, Prior Environment Clearance for Rusalli Choubisa Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4001 cum per year) (Khasra No. 499), Village-Rusalli Choubisa, Tehsil-Gulabganj, District-Vidisha (MP)

प्रकरण आज सेक की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार अनुपस्थित रहे हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र में उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी भाग में पेड़ लगे हुए हैं, खदान का उत्तर पश्चिम भाग खुदा हुआ है एवं दक्षिण दिशा में 79 मीटर पर कच्चा रास्ता है तथा उत्तर दिशा में पक्का रोड़ 268 मीटर पर है, एवं माईनिंग के अनुसार प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह पुरानी खदान है, जो कि वर्ष 2011 से 2021 तक संचालित हुई थी। खदान के पिट को सरफेस मेप पर दर्शाया गया है। खदान के अन्दर 20 पेड़ हैं, जिसमें से किसी भी पेड़ को काटा नहीं जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-4001 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.11 लाख प्रति वर्ष।

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम रुसल्ली चौबीसा के प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट निर्माण पानी की टंकी के साथ शिक्षक पालक समिति के संरक्षण में	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, खमर एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
3	गाँव में वितरण	आम, जामुन, मुनगा, कटहल एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
कुल			1200

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु पर चर्चा —

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला— मुरैना रेत खनिज (संशोधित)

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 865 दिनांक 23/08/23 के द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) जिला प्रभारी खनिज अधिकारी श्री एस.के. निर्मल द्वारा प्रस्तुत की गयी।

दिनांक 23.06.2023 को SEAC समिति द्वारा बैठक में जिला खनिज अधिकारी मुरैना को दिये निर्देशों के पालन में, आवश्यक संशोधन कर निर्देशानुसार D.S.R. तैयार की गई है। परीक्षण उपरांत पूर्व में प्रस्तुत की गई वैद्व में च्म छवण 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 19 व 20 में संशोधन किया गया है। प्रभारी खनिज अधिकारी श्री एस. के. निर्मल द्वारा अवगत कराया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदानों में निम्न संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

- पूर्व में जिला मुरैना के बरवासिन घाट पर 01 खदान डिनोटिफाइड की गई थी, जिसका कुल रकवा 118.66 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 16,37,508 घ०मी० थी। वर्तमान में संशोधित डी०एस०आर० में उक्त घाट में तीन खदानें बनाई गई। जिसका कुल रकवा क्रमशः (1)— 4.80 हेक्ट०, (2)— 5.00 हेक्ट० (3)—63.57 हेक्ट०, इसप्रकार कुल रकवा 73.37 हे० खनिज मात्रा 10,11,126 घ०मी० है। इन

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

खदानों में क्षेत्र कम होने एवं खनिज मात्रा कम होने के कारण दो खदानों के बीच में 500 मीटर की दूरी छोड़ने से हुई है ।

- इसीप्रकार पूर्व में जिला मुरैना के राजघाट पर 01 खदान डिनोटिफाइट की गई थी, जिसका कुल रकवा 78.90 हे० क्षेत्र था, जिसकी खनिज मात्रा 11,83,500 घ०मी० थी। वर्तमान में संशोधित डी०एस०आर० में उक्त घाट में तीन खदानें बनाई गई। जिसका कुल रकवा क्रमशः (1)– 5.00 हेक्ट०, (2)– 5.00 हेक्ट० (3)–40.87 हेक्ट०, इस प्रकार कुल रकवा 50.87 हे० खनिज मात्रा 7,63,500 घ०मी० है। इन खदानों में क्षेत्र कम होने एवं खनिज मात्रा कम होने के कारण दो खदानों के बीच में 500 मीटर की दूरी छोड़ने से हुई है ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नियत समयावधि हेतु 27/06/2023 से 21 दिवस हेतु मुरैना जिला पोर्टल पर तथा हार्ड कॉपी (खनिज कार्यालय मुरैना) आमजन के दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना (रेत खनिज) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है ।

अतः समिति की यह भी अनुशंसा है कि मुरैना – रेत खनिज जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:

The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District Mining Office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.

1. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
2. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
3. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
4. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Monitoring Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
5. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अगस्त 2023

6. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
7. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
8. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 23 अगस्त 2023

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 23 अगस्त 2023

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्विंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/ पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

670वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अगस्त 2023

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर